

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

26-10-18 पत्रावली पत्र हुई। यकृतलय फरिफत
उप/अनुपरिषत। शीतलीन अधिकारी क्रेरे
/अन्य कार्य में वास्तु पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 24-1-19
को पेश हो। *[Signature]*

24-1-19 पत्रावली पत्र हुई। यकृतलय फरिफत
उप/अनुपरिषत। शीतलीन अधिकारी क्रेरे
/अन्य कार्य में वास्तु पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 3-5-19
को पेश हो। *[Signature]*

3/5/19 पत्रावली पत्र हुई। यकृतलय फरिफत
उप/अनुपरिषत। शीतलीन अधिकारी क्रेरे
/अन्य कार्य में वास्तु पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 5-7-19
को पेश हो। *[Signature]*

5/7/19 पत्रावली पत्र हुई। यकृतलय फरिफत
उप/अनुपरिषत। शीतलीन अधिकारी क्रेरे
/अन्य कार्य में वास्तु पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 12/7/19
को पेश हो। *[Signature]*

12/7/19 पत्रावली पत्र हुई। यकृतलय फरिफत
उप/अनुपरिषत। शीतलीन अधिकारी क्रेरे
/अन्य कार्य में वास्तु पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 16/8/19
को पेश हो। *[Signature]*

16/8/19 पत्रावली पत्र हुई। यकृतलय फरिफत
उप/अनुपरिषत। शीतलीन अधिकारी क्रेरे
/अन्य कार्य में वास्तु पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 23/8/19
को पेश हो। *[Signature]*

26/8/19 नियत वेतनी का राजकीय अर्थमात्र होने हेतु
पत्रावली पत्र हुई। यकृतलय फरिफत
उप/अनुपरिषत। शीतलीन अधिकारी क्रेरे
/अन्य कार्य में वास्तु पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 27/9/19
को पेश हो। *[Signature]*

तारीख हुस

२७/०९/१९


पदावली पदा पूर्वा बहुमय अधिक
 उप/उपस्थित निकाय अधिकारी
 कार्यवाही के दिनांक २५/१०/१९
 जो पत्र संख्या

०५/१०/१९

पकीत कादीगज उपर प्रतिगो में १ गज की ओर से पूर्व में दिनांक २५/१०/१९ को उक्त हंगरज माफिक की ओर से पत्र पत्रालयमा को अभिलेख पर लिख जाय। पत्रालय पत्र आदिनांक तब पत्र नहीं लिख जाय है। पत्रालय पर उपलब्ध राजगज रेकार्ड के अकलेशन से पत्र है कि कादीगज विक्रयान्त भूमिके के रेकार्ड को हार काकाकार है। पत्रालय स्थाई निषेधाज्ञा है। अतः गज कादीगज लीकार लिख जाय आदेश लिख जाय है कि :-

निर्णय

तम गाम कोहराज तहसील खेला जिला सीकर (राज) अकलित हबि भूमि ज.नं. १५१३, १५२३, १५२५, १५२५ रकबा ५.५९ है। में से कादीगज के नाम पर १/५ हिस्सा के संबंध में प्रतिवादीगज को जरिद स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद लिख जाय है कि वे कादीगज की उक्त भूमि में किसी तरह की खेउछाउ नहीं करें एवं ठप्पा काका में मजाहमत नहीं करें। उक्तानुसार प्रकरण में पत्रालय डिली सुतीव है। पत्रालय कैमल कुमार होकर मन्बर से उक्त है तथा गज तहसील पापिल फरत है। निर्णय सुनै न्यायालय में सुनाया गया।


 (रणजीत सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)

डिक्री मुकद्दमा इल्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जायदा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला
 व इजलास श्री रणजीत सिंह RAS
 ① मुक्तिवाल ② रुपनीर शरण वनाम ① मुक्तिवाल पुत्र बाबूराम *
 दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा

मुकद्दमा नं. 11 रान 2017

यह मुकद्दमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रणजीत सिंह RAS
 हाजिरी श्री सज्जाद खान एवम गिनजानिव मुद्दई रूबरू श्री हंसराज मावलिग ए
 गिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तन ग्राम कोहरवाडा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राजप)
 अवस्थित कृषि भूमि खण्ड 1473, 1523, 1524, 1525 रकबा
 5.99 हे. में से वादीगण के नाम पर्ज 1/4 हिस्सा के संबंध
 में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पारंपर किया *

निज मुवलिग बाबत
 खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद नशरह फीसदी आज की तारीख से
 तारीख अदायगी तक का अदा करे। 04 माह 10 रान 2019 को

वसूल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख जारी की गई।

दस्तखत (रणजीत सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 ओहदा खण्डेला (सी कर)

मुहर


मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

✳️ पुत्रगण श्री सांवरमल जाति प्राध्यापन निवासी लोहरवाड़ा
तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) - (वादीगण)

बनाम

- ✳️ ① रुपनारायण ② सरदार ③ मनोज
पुत्रगण सुकिलाल
④ प्रभाती देवी वत्नी सुकिलाल
रामान्त जाति जाट निवासी लोहरवाड़ा तहसील खण्डेला
जिला सीकर (राज.)
⑤ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर
⑥ पटवारी हक्का मठल लोहरवाड़ा
⑦ उपपंजीयत महोदय खण्डेला - (प्रतिवादीगण)
⑧ रविशुदन ⑩ सोमलत ⑪ भवानी शंकर पुत्रगण श्यामसुन्दर
जाति प्राध्यापन निवासी लोहरवाड़ा तहसील खण्डेला जिला
सीकर लाल आबाद जयपुर राज. - (तरतीबी प्रतिवादीगण)

✳️ ज्ञात है कि वे वादीगण की उक्त श्रुति में किसी
तरह की छेड़छाड़ नहीं करें एवं कच्चा काशन
में मजाहमत नहीं करें।


(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

